भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1185

31 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी क्षेत्रों के लिए भीड़भाड़ प्रभार लगाना

1185. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ प्रभार पर कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी नीति की व्यवहार्यता की जांच के लिए लागत और लाभ का विश्लेषण करवाया है और देश में भीड़भाड़ प्रभार के संभावित लाभ और खामियां क्या हैं;

(घ) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने शहरों में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यातायात की भीड़ से निपटने के लिए भीड़भाड़ प्रभार लागू करने की सिफारिश की है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ) : जी, नहीं। शहरी परिवहन शहरी विकास का एक अभिन्न अंग होने के कारण राज्य का विषय है। इस प्रकार, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विशेष क्षेत्रों में भीड़ कम करने के उपाय के रूप में भीड़भाड़ शुल्क लगाने सहित शहरी परिवहन प्रणाली की नीति, योजना, प्रबंधन और निगरानी के लिए पहल की गई है।

(ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2013 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहर की आवश्यकता के अनुसार उचित अध्ययन कराके कंजेशन चार्जिंग प्रणाली लागू करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक परामर्शिका जारी की थी।

****